भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 51

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

निर्माण कर्मियों की दुर्घटना

51. श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जिसके कारण घातक दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा प्रवासी निर्माण कामगारों के बीच बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए प्रभावित कामगारों और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त और त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय भविष्य में ऐसी दुःखद घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार करने और विनियमों को लागू करने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि हां, तो प्रवासी कामगारों विशेषकर निर्माण क्षेत्र में, के समक्ष आ रही कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से की गई विशिष्ट पहलों अथवा नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): केन्द्र सरकार श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है । केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

जारी...2/-

(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996] और उनके नियमों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों तथा उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया है।

सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 के अध्याय VII में शामिल किया गया है और इसे अधिनियम और बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) केंद्रीय नियम, 1998 के अन्य प्रावधानों के साथ लागू किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) [सीएलसी (सी)] संगठन द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निरीक्षण योजना के अनुसार सीएलसी (सी) संगठन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करता है ताकि केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

इसके अलावा, निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) में निर्माण सलाहकार सेवा (सीएएस) प्रभाग बनाया गया है। डीजीएफएएसएलआई, मुंबई में "निर्माण सलाहकार सेवा (सीएएस) प्रभाग" ने निर्माण सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(घ) से (च): भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित असंगठित कामगारों के परिवारों/कामगारों को उस राज्य के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड, जहां कामगारों को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाता है, द्वारा बनाई गई और प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में भवन निर्माण कामगारों/उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के माध्यम से भी प्रदान की जाती है।

प्रवासी कामगारों (विशिष्ट रूप से) के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन रोजगार और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 [आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम] अधिनियमित किया था। आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम, 1979 की धारा 16 (छ) के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान के कार्य के संबंध में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे कर्मकार की घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट के मामले में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और कर्मकार के निकट संबंधी को रिपोर्ट करे।

जारी..3/-

इसके अतिरिक्त, प्रवासी सन्निर्माण कामगारों सहित सन्निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए आदर्श कल्याण योजना और कार्यान्वयन तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना तैयार की गई थी और इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, बीओसी कामगारों (प्रवासी बीओसी कामगारों सहित) की सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों के लिए उपकर निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को कई अनुदेश जारी किए गए हैं।

******